

न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन  
(कोर्ट कैम्प उप तहसील लूणवां दिनांक 27.02.2025)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 28.02.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आ. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, ..... इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम/प्रविष्टी	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
49/2025	चेतन पारीक पुत्र शिवराज	शेरपुरा/लूणवां	192	1376/441, 1394/441 1395/441	चेतन पारीक पुत्र शिवराम	चेतन पारीक पुत्र शिवराज
50/2025	दानाराम पुत्र पन्ना	ठिकरियांखुर्द/मीण्डा	51	11, 12	दल्लाराम पुत्र पन्ना	दानाराम पुत्र पन्ना
51/2025	जग्गाराम पुत्र गणेशराम गुर्जर	गुढासाल्ट/गुढासाल्ट	19	277, 281, 282, 283	जुग्गा पुत्र गणेश	जग्गाराम पुत्र गणेशराम गुर्जर
52/2025	शंकरलाल यादव पुत्र नाथूराम यादव	चम्पापुरा/शिम्भुपुरा	55	127	शंकर पुत्र नाथूराम	शंकरलाल यादव पुत्र नाथूराम यादव
53/2025	छोटूलाल जाट पुत्र रामबक्ष चौधरी	मूण्डगसोई/मूण्डगसोई	154	26	छोटूराम पुत्र रामबक्ष	छोटूलाल जाट पुत्र रामबक्ष चौधरी

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक ..... आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक ...28/02/2025... को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)  
उपखण्ड अधिकारी नावां  
(डी.डी.वा. कुचामन)

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/20

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी ..... को सूचनार्थ।

(उपखण्ड अधिकारी नावां)  
(डी.डी.वा. कुचामन)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां